

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

संख्या 01/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

अंबरलाल

पुत्र कृष्णलाल

जाति ब्राह्मण

साकिन 12 L S M

निर्णय दिनांक 22-4-19

इस प्रकार में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

पटवारी हल्का 21 S M

ने इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 12 L S M के नु. नं. 313/377 के कि. नं.

के कुल 4.933 हे.

रकबा राज पर

भूपरलाल

पुत्र कृष्णलाल

जाति ब्राह्मण

साकिन

12 L S M

ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर

मार्च 2015

काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर, अग्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर अग्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिमोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अग्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युत्तर में, अग्रार्थी दिनांक 22-4-19 को उपस्थित आया। उसने लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल किया गया।

पत्रादली का अदलोकन किया गया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रथमगत भूमि रकबा राज है। अग्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया है जिसके आधार पर उक्त भूमि पर अग्रार्थी का कब्जा विधिपूर्ण साबित हो। अतः अग्रार्थी

अंबरलाल

पुत्र

कृष्णलाल

को चक 12 L S M के नु. नं. 313/377 के

4.933 हे.

रकबा राज को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिमोग में लेने के कारण अतिघारी किया जाता है। इस अतिघार के लिये उस पर नू-राजस्व का

10

गुणा रुपये

395

अर्द्ध रुपये

श्री लाल अग्रार्थी

मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता है नू. अमि. निरीक्षक को पूर्व में उक्त रकबा पर काश्त फसल को कुर्क करने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि कि जाती है। नू. अमि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि कुर्क फसल सरआम मिलाम कर, बाद अनुमोदन राशि राजकोष में जमा करावें।

पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग दालबाठ में कायम, दसूली करें तथा अग्रार्थी को उक्त रकबा राज से वेदखल कर कब्जा बढ़क सरकार लेंवे। I.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रादली फंसल शुमार होकर बाद तरतीब द तकसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)

तहसीलदार (राजस्व)